न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमाना राम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– **16/2021**

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
1. करण पुत्र कालूराम 2. भंवरलाल पुत्र कालूराम जातियान विश्नोई निवासीगण चितलवाना तहसील चितलवाना जिला सांचौर	**बनाम**	1. पुनमाराम पुत्र पोलाराम 2. वरिंगाराम पुत्र रतनाराम 3. वरजूदेवी पत्नी वरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना 4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः:–

1. श्री जालाराम पुनिया अधिवक्ता प्ार्थीगण की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक 12/01/2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपाठित धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा चितलवाना पटवार हल्का चितलवाना मे प्रार्थीगण की खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा संख्या 1641 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा संख्या 1647 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.88 हैक्टर के आये हुए है। उपरोक्त आराजी का प्रार्थीगण सदैव लगान अदा करता आ रहा है तथा गिरदावरी प्रार्थीगण के नाम तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे मे अलग तरमीमसुदा आये हुए है लेकिन उक्त खेत की उत्तरी–दक्षिणी व पश्चिमी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने खेत मे मिलाने की चेष्टा करते रहते है। प्रार्थीगण के खेत की माठ पर वर्षो पुराने खड़े दरखत व थोर को काटकर माठ को अप्रार्थी तोड़ते रहते है तथा जबरन प्रार्थीगण के खेत को हड़पना चाहता है। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करने को उतारू रहते है। प्रार्थीगण सीधे–सादे व्यक्ति है, जिससे अप्रार्थीगण के झगड़े–टंटे का सामना नही कर सकते। इस हेतु प्रार्थीगण ने गांव के मौजूज पंच मुखियानों को इक्ट्ठा कर पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण नही माने तथा अपनी बेजा हरकतों से बाज नही आ रहे है तथा मौका पाकर आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते है। इसका स्थाई हल मात्र खेती की स्थायी सीमा, पत्थर चीणे, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण वर्षो पुराना कब्जा है। लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत मे जबरन प्रवेश कर अन्दर घुसना चाहता है तथा अपनी मनमर्जी अनुसार सीमा तय करते है। जिस पर प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सींमाकन भी दिनांक 23.06.2021 को करवाया, उसके बावजूद भी नही मानकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उनके परिवार वाले मिलकर झगड़ा–टंटा करने पर उतारू रहते है तथा अप्रार्थीगण ऐलानिया धमकिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

देते है कि हम आपको जबरन खेत के कब्जे से बेदखल कर देगे। प्रार्थीगण के वर्षो पुरानी माठ को तोड़ते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को हैरान–परेशान कर रखा है। खाता संख्या 379 के खातेदारो ने अप्रार्थी संख्या 3 को जमीन बेच दी है, जिससे उन्हे पक्षकार बनाया गया है। सुविधा के लिहाज से प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्त्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावे। नक्शे मे लाल स्याही के चिन्हित लाल स्याही स्थान से स्थायी नेखमबन्दी करवाना चाहते है। जिससे हम पक्षकारो के हमेशा के लिए सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा चितलवाना पटवार हल्का चितलवाना मे प्रार्थीगण के जमाबंदी मे दर्ज हिस्से खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा संख्या 1641 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा संख्या 1647 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.88 हैक्टर का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे लाल स्यी से चिन्हित अनुसार स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थगड्डी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमावे तथा आवश्यकानुसार समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना चितलवाना से दिलायी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को नोटिस तामिल के बावजूद उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं अवलोकन किया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शा में तरमीम अनुसार संयुक्त पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सीमांकन एवं पत्थरगढी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपराक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा चितलवाना, पटवार हल्का चितलवाना में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकुक कब्जाकाश्त के खेत खसरा संख्या 1641 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा संख्या 1647 रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 2.88 हैक्टर पर तहसीलदार चितलवाना मौके पर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आव[illegible] पुलिस इमदाद की मदद लेना सुनिश्चित् करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार [illegible]लवाना को जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12/01/2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर (राज.)